न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–सीहोर

R 36/7/II/16

संजय बियाणी पुत्र स्व0 श्री गोविन्ददास बियाणी, निवासी बड़ा बाजार सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.)

—— आवेदक

विरूद्ध

1. पवन बियाणी पुत्र स्व0 श्री गोविन्ददास
2. सुम्मत बियाणी पुत्र स्व0 श्री गोविन्ददास निवासीगण – बड़ा बाजार छावनी सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.)

—— अनावेदकगण

न्यायालय नजूल अधिकारी, सीहोर द्वारा प्रकरण क्रमांक 193/अ–6/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.09.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय नजूल अधिकारी, सीहोर का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण द्वारा सीहोर में स्थित नजूल सीट क्रमांक 99 के भू–खण्ड क्रमांक 185/1 क्षेत्रफल, 116.10 वर्ग मीटर पर बने मकान पर वसीयतनामा के आधार पर नजूल अभिलेख में नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया था, जिसके संबंध में आवेदक की ओर से एक आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की थी कि स्व0 श्री गोविन्ददास द्वारा कोई वसीयतनामा सम्पादित नहीं कराया गया है, ऐसी स्थिति में उनके हस्ताक्षरों की जॉच हस्ताक्षर विशेषज्ञ से करायी जाये। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त जॉच कराये जाने से इंकार किया है, जोकि विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, किसी भी दस्तावेज की जॉच किया जाना तत्पश्चात निष्कर्ष निकाला जाना विधि के अनुसार होगा। चूंकि इस प्रकरण आवेदक की ओर से स्पष्ट आपत्ति ली गयी थी कि स्व0 श्री गोविन्ददास द्वारा कोई वसीयतनामा सम्पादित नहीं किया है, ऐसी स्थिति में उनके हस्ताक्षरों की जॉच कराया जाना प्रकरण के लिए अत्यधिक आवश्यक है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी आपत्ति को मात्र इस आधार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3617–दो/2016 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–3–2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी नजूल अधिकारी सीहोर के प्रकरण कमांक 193/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29–9–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नजूल अधिकारी ने आवेदक की आपत्ति को इस आधार पर निरस्त किया है कि जब साक्ष्य ही नहीं हुई ऐसी स्थिति में हस्ताक्षर पर विचार किया जाना न्यायोचित नहीं है, साक्ष्य के पश्चात आवश्यक प्रतीत होता तो जांच हेतु लिखा जा सकेगा। स्पष्ट है कि चूंकि प्रकरण में साक्ष्य के पूर्व आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर हस्ताक्षर रायटिंग एक्पर्ट से जांच हेतु अनुरोध किया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार वसीयत जैसे दस्तावेज की अनुप्रमाणित साक्षी से प्रमाणित कराना आवश्यक है और केवल वसीयत का गवाह ही वसीयत को प्रमाणित करता है। न्यायालय प्रकरणमें आयी साक्ष्य और स्वयं के विवेचन से हस्ताक्षरों का मिलान स्वयं भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा भी संदर्भित आदेश पारित किया है। उसमें कोई वैधानिक	

त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। हस्तक्षेलिपि विशेषज्ञ की साक्ष्य अंतिम भी नहीं मानी गयी है और विशेषज्ञ के ऐसी साक्ष्य के आधार पर अंतिम निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। उसके राय केवल सहायक हो सकती है निर्णायक नहीं। इसके अतिरिक्त नजूल अधिकारी ने साक्ष्य के पश्चात आवश्यक प्रतीत होने पर जांच हेतु लिखने पर विचार किये जाने संबंधी आदेश पारित किया है जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। नजूल अधिकारी सीहोर का आदेश दिनांक 29–9–2016 स्थिर रखा जाता है। प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नजूल अधिकारी की ओर वापस भेजा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य